बाहने जायज मुकाम रखना है
12/7/24 को पेश हो।

12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील मुअद्दापक्ष अनुपस्थित। पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारो को तीन-तीन बार न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारो को तीन-तीन बार सूचना के अन्तर्गत लगवाई गई। आवश्यक सूचना के बावजूद भी अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। अतः अन्तरण-अदम पैरवी व अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 जाब्ता दी० के तहत प्रवारिण किया जाता है। पत्रावली चैनशल कुमार कोठारी बनाम से हुसैन खिलाफ दाखिल दफ्तर की। फैसला एकतरफा न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक